

खासी उत्तराधिकार संपत्ति विधियक, 2021

प्रलिस के लयि:

खासी उत्तराधिकार संपत्ति विधियक, 2021, संवधान की 6वीं अनुसूची, मेघालय की जनजातयिँ

मेन्स के लयि:

खासी उत्तराधिकार संपत्ति विधियक, 2021 के उद्देश्य और महत्त्व

चर्चा में क्योँ?

हाल ही में मेघालय में खासी हलिस ऑटोनॉमस डिसट्रिक्ट काउंसलि (KHADC) ने घोषणा की है कि वह 'खासी उत्तराधिकार संपत्ति विधियक, 2021' पेश करेगी। इस बलि का उद्देश्य खासी समुदाय में भाई-बहनों के बीच पैतृक संपत्ति का "समान वितरण" करना है।

- यदि प्रस्तावित विधियक लागू होता है, तो यह मातृवंशीय खासी जनजात की वरिसत की सदयिँ पुरानी प्रथा को संशोधित करेगा।

नोट:

- खासी हलिस ऑटोनॉमस डिसट्रिक्ट काउंसलि (KHADC) संवधान की छठी अनुसूची के तहत एक नकिया है।
- इसे कानून बनाने का अधिकार नहीं है।
- छठी अनुसूची का अनुच्छेद 12A राज्य विधानमंडल को कानून पारित करने का अंतिम अधिकार देता है।
- संवधान की छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मजोरम राज्यों में जनजातीय आबादी के अधिकारों की रक्षा के लिये आदवासी क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान करती है।
- यह विशेष प्रावधान संवधान के अनुच्छेद 244 (2) और अनुच्छेद 275 (1) के तहत कया गया है।
- यह स्वायत्त जिला परिषदों ((ADCs) के माध्यम से उन क्षेत्रों के प्रशासन को स्वायत्तता प्रदान करता है, जनिहें अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है।

प्रमुख बदि:

- वरिसत की मातृवंशीय प्रणाली के बारे में:
 - मेघालय की तीन जनजातयिँ- खासी, जयंतिया और गारो, वरिसत की एक मातृवंशीय प्रणाली का अभ्यास करती हैं।
 - इस प्रणाली में वंश और वंश का पता माता के वंश से चलता है।
 - दूसरे शब्दों में बच्चे माँ का उपनाम लेते हैं, पति अपनी पत्नी के घर में चला जाता है और परिवार की सबसे छोटी बेटी (खतदुह) को पैतृक या कबीले की संपत्ति का पूरा हसिसा सौंपा जाता है।
 - खतदुह भूमि की "संरक्षण" बन जाती है और भूमि से जुड़ी सभी ज़िम्मेदारी लेती है, जसिमें वृद्ध माता-पति, अवविहित या नरिशरति भाई-बहनों की देखभाल करना शामिल है।
 - यह वरिसत परंपरा केवल पैतृक या कबीले/सामुदायिक संपत्ति पर लागू होती है, जो वर्षों से परिवार के साथ है। इसके अलावा स्व-अर्जित संपत्ति भाई-बहनों के बीच समान रूप से वितरित की जा सकती है।
 - इस पारंपरिक व्यवस्था में अगर कसिी दंपति की कोई बेटी नहीं है, तो संपत्ति पत्नी की बड़ी बहन और उसकी बेटयिँ को सौंप दी जाती है।
 - यदि पत्नी की बहन नहीं है, तो आमतौर पर कबीला संपत्ति पर कब्जा कर लेता है।
- महिला सशक्तीकरण पर इस प्रणाली का प्रभाव: महिला कार्यकर्ताओं ने अक्सर बताया है कि मेघालय में मातृवंशीय व्यवस्था शायद ही कभी महिलाओं को सशक्त बनाती है।

- **संरक्षकता संबंधी समस्या :** संरक्षकता को अक्सर गलत समझा जाता है क्योंकि इसमें स्वामित्व केवल एक व्यक्ति में नहिंता होता है, जो कस सबसे छोटी बेटी होती है ।
 - यह संरक्षकता वृद्ध माता-पति, अवविाहति या नरिशरति भाई-बहनों और कबीले के अन्य सदस्यों की देखभाल करने की ज़मिमेदारी के साथ आती है ।
 - इसके अलावा संरक्षक अपने मामा की अनुमति के बिना ज़मीन खरीद या बेच नहीं सकती है ।
- **मातृसत्तात्मक:** लोग अक्सर मातृसत्तात्मक शब्द यानी जहाँ महिलाएँ प्रमुख के रूप में कार्य करती हैं, को लेकर भ्रमति होते हैं ।
 - जहाँ महिलाएँ प्रमुख रूप से कार्य करती हैं, वहाँ महिलाओं को गतशीलता की स्वतंत्रता और शक्ति तक आसान पहुँच होती है, लेकिन मेघालय में महिलाएँ नरिणय लेने की भूमिका में नहीं हैं ।
 - राजनीति या प्रमुख संस्थानों जैसे सत्ता के पदों पर मुश्किल से कोई महिला है ।
- **वधियक के बारे में:**
 - **प्रावधान:**
 - प्रस्तावति वधियक में **पुरुष और महिला दोनों भाई-बहनों के बीच पैतृक संपत्ति का 'समान वतिरण** करने की परकिल्पना की गई है ।
 - वधियक **माता-पति को यह तय करने का अधिकार देगा** कि वे अपनी संपत्तिकिसिके नाम करना चाहते हैं ।
 - यह वधियक एक गैर-खासी से शादी, जीवनसाथी के रीत-रिवाजों तथा संस्कृति को स्वीकार करने पर भाई-बहन को पैतृक संपत्ति प्राप्त करने से रोकता है ।
 - कानून का उद्देश्य **संपत्ति के समान वतिरण के सिद्धांत पर आधारति आर्थिक सशक्तीकरण** है ।
 - **वधियक की आवश्यकता:** कुछ समूहों ने वर्षों से लागू संपत्ति वरिसत की व्यवस्था का वरिध करते हुए कहा है कि यह पुरुषों को 'वधिति' करती है और परिवार में सभी बच्चों के बीच समान संपत्ति वतिरण के लिये दबाव डालती है ।
 - **प्रभाव:** यह मातृवंशीय खासी जनजाति की वरिसत की सदियों पुरानी प्रथा को संशोधति करेगा ।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/khasi-inheritance-of-property-bill-2021>

